

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1331 / 2010 / जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, वृत्त पाली।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नन्दकिशोर सुशील कुमार,
764, गणगौरी बाजार,
छोटी चौपड़, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के. बैद
उपराजकीय अभिभाषक
श्री पंकज घीया,
अभिभाषक

.....अपीलार्थीगण की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10/07/2014

निर्णय

- यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-पाली (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 125/अपील्स-IV/आरएसटी/07-08/एफ में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.01.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।
- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 04.10.2007 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान निम्न दो वाहनों को चैक करने पर वहनित माल एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में तथ्य निम्नप्रकार प्रकट हुए :-

	वाहन संख्या RJ-09GA-2425	वाहन संख्या RJ-19-1G-3723
वहनित माल	100 Package Vanaspati Ghee	100 Package Vanaspati Ghee
जी आर नं.	808 / 03.10.07	807 / 03.10.07
प्रेषक	झुन झुनवाला वनस्पति लि. नहवा सेवा	झुन झुनवाला वनस्पति लि. नहवा सेवा
प्रेषिति	मै. नन्द किशोर सुशील कुमार, जयपुर	मै. नन्द किशोर सुशील कुमार, जयपुर
From/To	नहवा सेवा से जयपुर	नहवा सेवा से जयपुर
किराया	रुपये 30,400 / -	रुपये 19,500 / -
प्रेषक का चालान	399 / 03.10.07	400 / 03.10.07
संव्यवहार की प्रकृति	For Consignemnt sale against F Form	For Consignemnt sale against F Form
संलग्न अन्य दस्तावेज	माल के विदेश से आयात की Bill of Entry & Form VAT 47	माल के विदेश से आयात की Bill of Entry & Form VAT 47




लगातार.....2

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वाहन चालकों द्वारा प्रस्तुत अधिनियम की धारा 76(2) में विहित दस्तावेजों (बिल्टी, बिल व वैट-47) में दोनों की वाहनों से एक तरह का माल (वनस्पति घी) एक ही मात्रा का माल (1000 पेकेजेज) एक ही प्रेषक (मै. झुन झुनवाला) एक प्रेषिति (मै. नन्द किशोर सुशील कुमार, जयपुर) को वहनित किये जाने की घोषणा है किन्तु दोनों में वहनित माल के किराया में बहुत अधिक अन्तर है एवं चालान नं. 399 तथा 400 पर अंकित नोट से यह प्रतीत होता है कि वस्तुतः माल का प्रेषिति बिल्टियों, चालानों तथा वैट-47 घोषणा पत्र में अंकित मै. नन्द किशोर सुशील कुमार, जयपुर नहीं होकर क्रमशः हरिओम मार्केटिंग गंगानगर तथा मैसर्स कार्तिक ट्रेडर्स सुमेरपुर है। मैसर्स हरिओम मार्केटिंग गंगानगर तथा मैसर्स कार्तिक ट्रेडर्स सुमेरपुर को माल वहनित करने के संबंध में अधिनियम की धारा 76(2) के तहत अलग-अलग सूचना पत्र नोटिस जारी किये गये। दिनांक 06.10.07 को मैसर्स नन्द किशोर सुशील कुमार, जयपुर (दस्तावेजों में घोषित प्रेषिति) के प्रोपराईटर श्री सुशील कुमार ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त दोनों ही वाहनों में वनस्पति घी उनके यहां एफ फार्म पर बिकने हेतु आ रहा था तथा उनके द्वारा मैसर्स कार्तिक ट्रेडर्स सुमेरपुर तथा हरिओम मार्केटिंग, गंगानगर को विक्रय किया गया है। अतः उन्हें वाद में पार्टी बनाया जाए जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने विचार कर पार्टी बनाया तथा उन्हें अधिनियम की धारा 76(6) के तहत सूचना पत्र जारी किया। नोटिस की पालना में श्री सुशील कुमार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा दोनों वाहनों में परिवहनित माल रुपये 6,90,000/- व 7,38,000/- वनस्पति घी कुल कीमतन रुपये 14,28,000/- पर धारा 76(6) के तहत शास्ति रुपये 4,28,400/- आरोपित कर दी गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.01.2010 के द्वारा परिवहनित माल समुचित दस्तावेजों से परिवहनित किया जाना मानकर आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर ली गई। उक्त अपीलीय आदेश से असंतुष्ट होकर विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि माल कार्तिक ट्रेडर्स, सुमेरपुर व हरिओम मार्केटिंग, गंगानगर को जा रहा था। अतः वास्तविक आयातकर्ता वही फर्म थी अतः फार्म वैट-47 माल आयात करने वाली फर्मों का होना चाहिए था जबकि वाहनों के साथ जो फार्म 47 संलग्न था वह जयपुर की फर्म मैसर्स नन्द किशोर सुशील कुमार, जयपुर का था। यह धारा 76(2) का उल्लंघन था अतः शास्ति नियमानुसार आरोपित की गई है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किया जावे।




5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री पंकज घीया द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि मैसर्स नन्द किशोर सुशील कुमार, जयपुर के यहां एफ फार्म पर माल बिकने हेतु राजस्थान राज्य में आ रहा था। राजस्थान राज्य में आयातकर्ता मैसर्स नन्द किशोर सुशील कुमार, जयपुर था अतः धारा 76(2) के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक फार्म 47 आयातकर्ता फर्म जयपुर की फर्म का लगा हुआ था जो नियमानुसार सही है। श्री घीया ने आगे तर्क दिया कि व्यापार जगम में भाड़ा बचाने के लिये माल सीधे ही जिन क्रेताओं को बेचा गया था उनको डिलीवरी दी जानी थी तथा जिसका राज्य में बिक्री बिल मैसर्स नन्द किशोर सुशील कुमार, जयपुर के द्वारा जारी किया जाना था अतः वास्तव में माल आयातकर्ता जयपुर की फर्म ही थी जिसके कारण धारा 76(2) में वर्णित दस्तावेजों के साथ फार्म 47 जयपुर की फर्म का ही देय बनता है। इसके उपरान्त भी कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा कानून की गलत व्याख्या कर धारा 76(2) का उल्लंघन मानकर जो शास्ति आरोपित की गई है वह पूर्णतया अनुचित व अविधिक है। माल के समस्त दस्तावेज नियमानुसार सही है। उनको कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा झूठा साबित नहीं किया गया है साथ ही उनके प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के निर्णय [(2007) टैक्स अपडेट वोल्यूम 18 पार्ट 8 पेज 321] व **State of Rajasthan V/s D.P. Metal reported in 2001 (124) STC 611** लागू नहीं होते हैं। अतः आरोपित शास्ति पूर्णतया अविधिक थी। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से निरस्त किया गया है। अतः यह विभाग की द्वितीय अपील भी उसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत रेकार्ड का अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट है कि परिवहन के समय माल से संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध थे तथा आवश्यक वैट-47 फार्म पूर्णतया भरा हुआ संलग्न था जिसमें किसी प्रकार का कोई कॉलम खानी नहीं था। अतः धारा 76(2) का कोई उल्लंघन नहीं होता है। साथ ही इस प्रकरण के तथ्यों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के निर्णय [(2007) टैक्स अपडेट वोल्यूम 18 पार्ट 8 पेज 321] व **State of Rajasthan V/s D.P. Metal reported in 2001 (124) STC 611** लागू नहीं होते हैं अतः आरोपित शास्ति पूर्णतया अविधिक ठहरती है परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी के द्वारा उचित रूप से धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 4,28,400/- को अपास्त करने में कोई भूल नहीं की गई है। अतः उक्त आधार पर विभाग की उक्त अपील अस्वीकार की जाती है।

7. फलतः विभागीय अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


10-7-14

(अमर सिंह)
सदस्य